न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :10/2024 G.C.M.S. No: 2024/103 दर्ज दिनांकः 30.04.2024

अपीलार्थीगण

सामन्त सिंह पुत्र श्री सगेल सिंह, जाति राजपूत, निवासी भाद्राजून ढाणी, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. गणेश सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह
2. कल्याण सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह, जातिगण राजपूत, निवासी भाद्राजून ढाणी, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर
3. खीम सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, जाति राजपूत निवासी भाद्राजून ढाणी, तहसील भाद्राजून ढाणी, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर
4. आम सिंह परिहार पुत्र श्री विशन सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम साण्डन, त्हसील भाद्राजून, जिला जालोर।
5. रमेश पुत्र श्री मान सिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी नोरवा, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर
6. मोहब्बत सिंह राठौड़ पुत्र श्री गिरधारी सिंह राठौड़, जाति राजपूत निवासी सामुजा तहसील आहोर जिला जालोर
7. ललित कुमार पुत्र श्री बाबुलाल, जाति खत्री, निवासी भैसवाड़ा, तहसील आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आहोर वाद संख्या 90/2011 बअनवान सामंतसिंह बनाम गणेशसिंह निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री इमरान खान, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

निर्णय

दिनांक : 29.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व वाद संख्या 90/2011 बउनवान सामंतसिंह बनाम गणेशसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

यह कि अपीलाण्ट/वादी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि पुराने खसरा नम्बर 171 में से 12 बीघा कृषि भूमि तथा खसरा नम्बर 498 में से रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि तत्कालीन खातेदारी सुलेमान, बसीर पिता अल्लाहबक्श से दिनांक 20.06.1975 को पंजीयन बेचाण द्वारा वादी सांमतसिंह व जवाहर सिंह (वादी के भाई) के द्वारा बसमिलाती खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 जवाहरसिंह के पुत्र है। बाद खरीद के खसरा नम्बर 171 में 12 बीघा भूमि का वादी व इसके भाई

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जवाहरसिंह का अलग खाता किया गया था, इसलिये वादी व इसके भाई के खसरा नम्बर 171/1 रकबा 12 बीघा कृषि भूमि है तथा नामान्तरण दोनों भाईयों का 938 स्वीकृत हुआ तथा इन्द्राज जमाबन्दी सवत् 2031–2034 तक रहा, मौके पर 1/2 हिस्से का वादीगण काबिज काश्त है व उपयोग व उपभोग में है तथा पासबुक भी जारी की गई। तत्पश्चात् सवत् 2033 में रिसेटलमेन्ट हुआ, जो 2040 तक चला व मिसल बन्दोबस्त सवत् 2040 से 2059 कायम हुई तथा खसरा नम्बर 171/1 जो 12 बीघा भूमि जवाहरसिंह व सांमतसिंह की बसामलाती थी, इसके दो खसरा नम्बर कायम हुए. जो खसरा नम्बर 1340 व 1311 है तथा खसरा नम्बर 1340 में वादी का कब्जा होने के कारण व उपयोग उपभोग होने के कारण अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर निवेदन किया कि 1340 में वादीगण का नाम दर्ज नही किया गया है, इस कारण दर्ज किया जावे तथा इसी कृषि भूमि में 0.20 हैक्टेयर की भूमि भीकाराम को पंजीयन बेचाण द्वारा प्रतिवादी द्वारा हस्तान्तरित कर दी गई तथा खसरा नम्बर 1340 का रकबा 1.37 हैक्टेयर रखा गया तथा शेष भूमि 1311 में रखी गयी तथा उक्त दोनों खसरे की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी, जिसे रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया गया तथा यह भी निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट अधिकारी को एन्ट्री चैन्ज करने का अधिकार नहीं है तथा न ही भूमि को एक्सचेन्ज करने का अधिकार है, न ही राजस्व नुकसान के लिए एन्ट्री चैन्ज की जा सकती है। वादी द्वारा यह भी निवेदन किया कि मौके पर अपीलाण्ट की सोनामुखी की फसल बोई हुई है तथा गलत एन्ट्री जवाहरसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को निवेदन किया, परन्तु दिनांक 01.07.2011 को हक देने से इन्कार कर दिया व वादी की कृषि भूमि में दखल करने हेतु आमादा है। वाद संख्या 90/2011 दर्ज किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 कल्याणसिंह द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया तथा द्वितीय सेटलमेन्ट में पिता द्वारा विभाजन किये जाने का कथन किया गया। यानि समेलसिंहजी कृषि भूमि का विभाजन किया जाना बताया जाकर खसरा नम्बर 1340 जवाहरसिंह के हिस्से में आया जाना बताया गया तथा खसरा परिशोधन का दस्तावेज होना बताया तथा 35 वर्षों पूर्व बंटवाड़ा होना बताया गया व वाद खारिज करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। वादी अपीलाण्ट की ओर से प्रदर्श 1 पंजीयन बेचाण दिनांक 20.06.1975, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सवत् 2031 से 2033, प्रदर्श 3 मौका जांच रिपोर्ट, प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5 नामान्तरण, प्रदर्श 6 सवत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी तथा प्रदर्श 8 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र 87/2011 निर्णय दिनांक 20.09.2013 प्रदर्शित करवाया गया व साक्षी वादी की बन्द कर दी गई। प्रतिवादी साक्ष्य में उपस्थित नही आया तथा अग्राह्य दस्तावेजात पर न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट वादी की जिरह में प्रदर्श डी 1 से डी 14 तक के दस्तावेज प्रदर्शित करवाये, तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा तनकीयात व इश्यूज पर निर्णय पारित किया गया तथा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की गई व अन्य तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित कर वाद वादी खारिज किया गया।

यह कि प्रदर्श 1 दस्तावेज के अनुसार व प्रदर्श 1 से लगाकर प्रदर्श 7 के दस्तावेज पर विवेचन कर न्यायालय द्वारा तनकीयात संख्या 1 अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित की गई तथा खसरा नम्बर 171/1 रकबा 12 बीघा की भूमि बसामलाती जवाहरसिंह व सामंतसिंह का बहिस्सा बराबर खरीद करना निर्णित किया व खातेदार जवाहरसिंह व सामंतसिंह का होना स्वीकृतसुदा रहा। जवाहरसिंह व सामतसिंह के पिता समेलसिंहजी की कृषि भूमि थी व इनके पिता की जो कृषि भूमि थी वो बसामलाती पैतृक थी जो अलग भूमि थी, इसलिये उसका विभाजन रि सेटलमेन्ट में

सेटलमेन्ट अधिकारी को करने का अधिकार था, परन्तु खसरा नम्बर 171/1, जिसके नये नम्बर 1340 इस भूमि को विभाजन में रेस्पोडेण्ट जवाहरसिंह को देने का अधिकार नही था। क्योंकि यह पैतृक भूमि नही थी, जब दोनों की सामलाती निजी भूमि थी तो सैटलमेन्ट विभाग को एक्सचेंज करने का अधिकारी नही था तथा एक्सचेंज डीड न तो पंजीयन हुई, न ही हस्तारण दस्तावेज निष्पादित हुआ तथा नही बेचाणनामा व बक्शीसनामा हुआ। इसलिये सेटलमेन्ट अधिकारी को एन्ट्री चेन्ज करने का अधिकार नही था तथा बिना अधिकार के खसरा नम्बर 1340 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता जवाहरसिंह के पक्ष में विभाजन में ले दिया तथा, जबकि पैतृक भूमि के साथ उक्त भूमि का विभाजन किया जाना कानूनन नही था तथा राजस्व नुकसान करने व राजस्व के बाबत् पंजीयन दस्तावेज की ड्यूटी बाबत् भी कोई निर्णय लेने का अधिकार सेटलमेन्ट अधिकारी को नही था, इस कारण से खसरा नम्बर 1340 रेस्पोडेण्ट के पक्ष में विभाजन में देकर जो गलती की गई, उसको दुरूस्त करने के लिए घोषणा का वाद पेश किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय को स्वीकार किया जाना चाहिये था, जो न कर विधि एवं तथ्य की भूल की है।

यह कि खसरा नम्बर 171/1 के जो खसरे 1311 व 1340 कायम हुए, उक्त दोनों खसरे जवाहरसिंह रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता को दे दिये गयें, जो सेटलमेन्ट अधिकारी को देने का अधिकार भी नही था। इस कारण निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है।

यह कि प्रदर्श डी–2 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलाण्ट का कब्जा नही होना बताया गया तथा अन्य जमींन दिया जाना बताया गया व इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिलाय किया गया है, जबकि प्रदर्श डी.2 के अनुसार कब्जा नहीं होने का कथन गलत है, क्योंकि प्रदर्श 1 के अनुसार तथा प्रदर्श 2, 3, 5, 6 एवं 8 के अनुसार कब्जा अपीलाण्ट का होना साबित है तथा संयुक्त कृषि भूमि पर सभी का हक हिस्सा कानून है। जब भूमि को एक्सचेंज ही नही किया गया तथा न ही हस्ताक्षर किया गया तो सेटलमेन्ट अधिकारी को प्रदर्श 2 खसरा परिशोधन में कब्जा सामंतसिंह का नहीं होने का कथन गलत दर्ज किया गया है। प्रदर्श डी 1 से डी 3 के दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है, क्योंकि रेस्पोडेण्ट द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये व अपना जवाब पेश किया गया, इसमें यह अभिवचन किया गया कि पिता द्वारा कृषि भूमि का विभाजन किया गया है तो इससे यह स्पष्ट है कि समेलसिंह व इसके पिता की जो कृषि भूमि थी. इसके बाबत् विभाजन की कार्यवाही व इस विभाजन की कार्यवाही में निजी भूमि कानूनन शामिल नही रहती है व अपीलाण्ट को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि निजी खातेदारी भूमि को खसरा परिशोधन में शामिल कर विभाजन किया गया है। उक्त विभाजन दस्तावेजात को प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में आकर साबित किया जाना था, जो दस्तावेज प्रदर्श डी 1 से डी 14 साबित ही नही है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य व साक्ष्य का विवेचन नही किया तथा सिर्फ निष्कर्ष ही दर्ज किया गया तथा अभिवचन के बाहर के दस्तावेज के आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री चलने योग्य नही है, क्योंकि प्रदर्श डी1 से डी2 दस्तावेज एक्सचेंज की तारीख में आता है तथा स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का रूप है, इसलिये उक्त वाद वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना चाहिये था, जो न कर विधि एवं तथ्य की भूल की गई है।

यह कि तनकीयात संख्या 2 वादी के विरूद्ध गलत निर्णित की गई है। खसरा नम्बर 1340 में अपीलाण्ट का कब्जा है तथा वक्त किये जाने दावा अपीलाण्ट की सूरजमुखी बोई हुई थी, इसलिये खातेदारी अधिकार की घोषणा किया जाना आवश्यक एवं कानूनन था, क्योंकि खसरा नम्बर 1311 जो पुराने खसरा नम्बर 171 व 172 से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कायम हुआ, इस खसरे का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता की खातेदारी में दे दिया तो खसरा नम्बर 1340 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी में दिया जाना कानूनन था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात संख्या 2 को निर्णित करते समय अपीलाण्ट पी.डब्ल्यू 1 के बयानों का विवेचन कर प्रदर्श डी 1 से डी 2 को साबित होना माना, जबकि जो डी 2 दस्तावेज है. यह पैतृक भूमि के संबंध में है तथा पैतृक भूमि के विभाजन के बावजूद ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी, परन्तु गलत रूप से एन्ट्री कर विभाजन बता दिया गया। प्रदर्श डी 2 साक्ष्य में अग्राह्य है तथा प्रदर्श डी2 में 12 बीघा भूमि का क्षेत्रफल दोनों भाईयों का बताया गया है तथा कब्जा नहीं होने की एन्ट्री साबित नही है व अपीलाण्ट द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं का कब्जा होना बताया है तो प्रदर्श डी2 साबित ही नहीं हुआ तथा कानूनन भी कब्जा संयुक्त भूमि का होने के कारण अपीलाण्ट का है तथा कब्जा नहीं होने की एन्ट्री करने का भी अधिकार सेन्टलमेन्ट अधिकारी को नही था व प्रदर्श डी 1 के दस्तावेज के अनुसार पैतृक सम्पत्ति का विभाजन किया जाना था व इसमें गलत रूप से एन्ट्री कर खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को दे दिये गये था। इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है।

यह कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पैतृक भूमि के विभाजन के बारे में अभिवचन किये व खसरा परिशोधन पत्र भी पेश किया तथा जो दस्तावेज प्रदर्श करवाये, वो साक्ष्य में ग्राह्य थे। प्रदर्श 1 के खसरा नम्बर 839 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 898 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 752 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1488 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा तथा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 1310, 1311 की भूमि तथा खसरा नम्बर 1340 रकबा 12 बीघा कृषि भूमि कुल रकबा 1–7 बीघा की कृषि भूमि जवाहरसिंह को देनी दर्शायी गई है तथा इसके अलावा खसरा नम्बर 1295 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि दिया जाना दर्शाया गया है तथा अपीलाण्ट को खसरा नमबर 848 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1344 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि कुल रकबी 32–6 बीघा की भूमि अपीलाण्ट को दिया जाना बताया गया है तथा खसरा नम्बर 1489 की भूमि का रकबा दर्ज नहीं किया गया है। इस तरीके से प्रदर्श डी 1 के अनुसार अपीलाण्ट के पास भूमि बहुत कम थी, तो विभाजन किस प्रकार वैध रहा, यह तथ्य अंकित नहीं है तथा इसके बावजूद भी रेस्पोडेण्ट कल्याणसिंह द्वारा एक वाद सहायक कलेक्टर आहोर में कल्याणसिंह बनाम सामतसिंह पेश किया, जो विचाराधीन है। इस तरह के अपीलाण्ट के पास पैतृक भूमि भी कम थी तथा निजी भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 171 रकबा 12 बीघा है, इसको भी रेस्पोडेण्ट की खातेदारी में दर्ज कर दी. इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया तथा अपीलाण्ट के हस्ताक्षर होने के आधार पर निर्णय व डिक्री तनकीयात संख्या 2 रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित कर पारित कर दी, जो विधिनुसार नही है तथा सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन दस्तावेज प्रदर्श डी 1 व डी2 तैयार किया गया है तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1340 में 0.20 हैक्टेयर की भूमि भागीरथ को हस्तान्तरण कर दी, जो करने का अधिकार नही था. फिर भी अपीलाण्ट द्वारा 1/2 हिस्से की मांग की गई, क्योंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता को खसरा नम्बर 131 की भूमि प्राप्त हो गयी थी, इसलिये खसरा नम्बर 1340 की भूमि में खातेदार अधिकार की घोषणा करवाने का अधिकार अपीलाण्ट को था, प्रदर्श 2 के दस्तावेज से अपीलाण्ट बाध्य नही है व इस पर स्टोपल का सिद्धान्त लागू नही होता है, क्योंकि सेंटलमेन्ट विभाजन द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही की गई तथा पैतृक भूमि का परिशोधन खसरा करके निजी भूमि खसरा नम्बर 1340 में भिजन बता दिया, जो साक्ष्य में अगाह्य है, इस कारण से उक्त किया गया बंटवाड़ा विधिनुसार नही है। जब तनकीया संख्या 1 वादी अपीलाण्ट के पक्ष

में साबित हो गयी तो तनकीयात संख्या 2 अपीलाण्ट के पक्ष में साबित किया जाना कानूनन था, जो तनकीयात अपील के विरूद्ध निर्णित कर विधि एवं तथ्य की भूल की गई हई।

यह कि तनकीयात संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था तथा प्रतिवादी की साक्ष्य नही हुई, जब प्रतिवादी की साक्ष्य ही नही हुई तो तनकीयात संख्या 3 साबित ही नही हुई। प्रदर्श। दस्तावेज जो खसरा परिशोधन विभाजन का है। उक्त विभाजन भी दस्तावेज को देखने मात्र से साक्ष्य में ग्राह्य ही नही है तथा इस विभाजन में जवाहर सिंह को भूमि बहुत ज्यादा दी गई है तथा सांमतसिंह को भूमि कम दी गई है, जो प्रदर्श 1 के कॉलम संख्या 3 में जो विभाजन के खसरान दर्ज है, इससे स्पष्ट है। जब भूमि की स्थिति स्पष्ट नही है तथा जवाहरसिंह के पास भूमि ज्यादा आयी तो विभाजन काननून नही है, न ही ऐसा विभाजन करने का इख्तियार सेटलमेन्ट विभाग को ही है। प्रतिवादी भी साक्ष्य में नहीं आया तथा न ही विभाजन के बारे में तथ्य स्पष्ट किये, खसरा नम्बर 1340 पैतृक भूमि नहीं है तो अन्य खसरा विभाजन में अपीलाण्ट को देने की स्थिति भी नही है। पंजीयन दस्तावेज करवाये बगैर व अलग स्टाम्प ड्यूटी अदा कानूनन अदा किये बगैर सेटलमेन्ट विभाग को एन्ट्री चैन्ज करने का अधिकार नही था तथा रेस्पोडेण्ट कल्याणसिंह अथवा गुणेशसिंह साक्ष्य में नहीं आये तथा न ही यह बताया गया कि यह बंटवाड़ा कब व किसके द्वारा किया गया व कौन कौन उपस्थित है। इसलिये विभाजन कानूनन नहीं हुआ. इसलिये उक्त दस्तावेज कानून में अग्राह्य है। पैतृक सम्पत्ति के बारे में विभाजन रहने से खसरा नम्बर 1340 का विभाजन होना कानून नहीं माना जा सकता है, न ही अपीलाण्ट की साक्ष्य से प्रतिवादी का दस्तावेज भी साबित होता है, चूंकि जवाबदावा में अभिवचन रेस्पोडेण्ट का है तो रेस्पोडेण्ट को अपनी साक्ष्य से अपने दस्तावेज का साबित किया जाना चाहिये था, जो साबित्त नही किया गया है। मात्र हस्ताक्षर होना कहने से दस्तावेज की ईबारत साबित नही मानी जा सकती है तथा वादी पी. डब्ल्यू 1 द्वारा यह कहा कि मैं अनपढ़ हूँ तथा पढ़ना नहीं आता है तो प्रदर्श डी1 से प्रदर्श डी2 दस्तावेज को मात्र ए से बी हस्ताक्षर होना बताकर दस्तावेज को साबित होना माना है. जो विधिनुसार नही है तथा प्रदर्श डी व प्रदर्श डी2 की इबारत व विभाजन को अपीलाण्ट वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया तो तनकीयात संख्या 3 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जानी चाहिये थी, इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है।

यह कि तनकीयात संख्या 6 वादी के विरूद्ध गलत निर्णित की गई है तथा उक्त तनकीयात वादी के जिम्मे भी गलत रखी गई है, क्योंकि स्टोपल के बाबत् आपत्ति रेस्पोडेण्ट की थी तथा बंटवाड़े का ज्ञान होने का कथन भी दस्तावेज के द्वारा किये गये तो तनकी रेस्पोडेण्ट को साबित की जानी थी तथा बर्डन भी रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी पर रखा जाना चाहिये था, जो वादी पर गलत शिफ्ट किया गया, खसरा नम्बर 171/1 रकबा 12 बीघा भूमि जवाहर सिंह तथा अपीलाण्ट की होना साबित रहा है व तनकीयात संख्या 1 भी वादी के पक्ष में निर्णित की गई है तथा प्रतिवादी का यह भी उजर रहा कि जवाहरसिंह के पिता समेलसिंह द्वारा भूमि का विभाजन करवाया गया। इस कारण सेकण्ड सेटलमेन्ट में प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 तैयार हुआ तो समेलसिंह की आराजीयात खसरा नम्बर 1340 व 1311 नहीं थी तो इसके विभाजन के बाबत् समेलसिंह को विभाजन करने का कहने का कोई अधिकार नही था तथा पैतृक सम्पत्ति का विभाजन किया जाना दर्शाया गया है तथा अपीलाण्ट अनपढ़ है व कानूनी जानकारी का अभाव है तो ऐसी स्थिति होना स्पष्ट है कि पैतृक सम्पत्ति के विभाजन के लिए हस्ताक्षर होने की स्थिति हो, परन्तु पी.डब्ल्यू 1 की साक्ष्य से ऐसी कोई भी जिरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सामने नहीं आयी कि प्रदर्श डी 1 व डी 2 की ईबारत की जानकारी अपीलाण्ट वादी को रही हो तथा स्टोपल का सिद्धान्त लागू नही होता है। प्रतिवादी साक्ष्य में भी नही आया, न ही जिरह का अवसर अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ तो विबन्धन का उजर कतई चलने योग्य नही था तथा न ही बंटवाड़े की जानकारी होने की स्थिति है। इसलिये तनकीयात संख्या 6 जो अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित किया गया है, यह विधिनुसार नही है तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी साक्ष्य से तनकीयात संख्या 3, 4 को भी साबित नही किया है, इस कारण से वाद अपीलाण्ट का डिक्री किया जाना चाहिये था।

यह कि खसरा नम्बर 1340 से 0.20 हैक्टेयर की भूमि भागीरथ को बेचाण की जानी दर्शायी गई, परन्तु विधिनुसार विभाजन नहीं हुआ, विशिष्ठ हिस्सा व विशिष्ठ लोकेशन भी भागीरथ जाट की नही थी व बंटवाडा के बगैर भागीरथ जाट कब्जे में नहीं आ सकता, इस कारण भी स्टोपल का सिद्धान्त लागू नही रहता है तथा विभाजन में अलग खाता 2998/1340 किया गया है, यह भी विधिनुसार नही है तथा रेस्पोडेण्ट को खसरा नम्बर 1311 की भूमि प्राप्त हो गयी तो अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 1340 की भूमि के खातेदारी अधिकार देकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना कानूनन था।

यह कि पुराने खसरा नम्बर 172 की भूमि रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा थी तथा पुराने खसरा नम्बर 172 के नये नम्बर 1298 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा कायम हुए तथा इसके अलावा खसरा नम्बर 1311 व 1310 भी बनाये गये। इन दोनों खसरों में भी खसरा नम्बर 172 की भूमि शामिल है। खसरा नम्बर 1311 का रकबा 1.78 हैक्टेयर है तथा खसरा नम्बर 1310 का रकबा 1.25 हैक्टेयर है तथा प्रदर्श 1 के अनुसार खसरा नम्बर 1311 में खसरा नम्बर 171/1 की भूमि शामिल है जो खसरा नम्बर 1340 से शेष रही भूमि खसरा नम्बर 1311 में है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते की जमींन है। इस कारण से खसरा नम्बर 1340 की भूमि में वादी की 6 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार दिया जाना कानून था, जो नही देकर विधि एवं तथ्य की भूल की है।

यह कि दिनांक 07.01.2014 को पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 15.02.2024 को मुकर्रर की गई तथा पेशी इल्तवा होने के बाद रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश 13ए का प्रार्थना पत्र पेश किया व एकतरफा बहस सुनकर दस्तावेज को रेकर्ड पर लिये गये, उक्त दस्तावेज वादी के संबंधित नही है, जो दस्तावेज वादी के संबंधित नहीं हो, इसको रेकर्ड पर जिरह वादी के समय नही लिया जा सकता है तथा जिरह करते समय रेकर्ड पर लेने का अधिकार भी अधिनस्थ न्यायालय को नही था, परन्तु एक तरफा प्रार्थना पत्र पेश होने पर दस्तावेज को रेकर्ड पर लिया गया, जो विधिनुसार नही है तथा दिनांक 15.02.2024 की पेशी मुकर्रर होने के बाद दिनांक 09.02.2024 को पेशी रखी गयी तथा बयान दिनांक 15.02.2024 को हुए व इस बीच में दस्तावेज रेकर्ड पर लेकर प्रतिवादी के दस्तावेज पर विधि विरूद्ध तरीके से प्रदर्श लगा दिये गये। उक्त प्रदर्श लगाये जाने के खिलाफ में अधिवक्ता द्वारा अपना आवेदन भी प्रदर्श हटाने बाबत् पेश किया, परन्तु न्यायालय द्वारा इस पर गौर नही किया गया तथा आवेदन अपीलाण्ट का खारिज हुआ हो, ऐसा आदेश भी पत्रावली पर दर्शित नही है। इस कारण से जो प्रदर्श की अनुमति दी गई है व इसके आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की गई है, यह विधिनुसार नही है।

यह कि वाद के साथ राजस्व विविध संख्या 87/2011 का आवेदन पेश किया गया तथा इस आवेदन का दिनांक 29.09. 2013 को निर्णय किया गया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट वादी का स्वीकार किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट ने राजस्व अपील अधिकारी, पाली के यहां अपील की तथा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील भी खारिज हुई। तत्पश्चात् रेवेन्यू बोर्ड में निगरानी पेश की, जो विचाराधीन लगातार रही है, परन्तु वाद के विचारण के दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त कृषि भूमि को दिनांक 07.07.2023 को हस्तान्तरण कर दिया, जो हस्तान्तरण रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से 7 को किया गया, जो करने का अधिकार नही था तथा स्थगन आदेश सहायक कलेक्टर से पारित हुआ था, वाद विचाराधीन था तो लिस पेनडेन्स का सिद्धान्त लागू था, इसलिये भूमि हस्तान्तरण योग्य नही थी तथा अपीलाण्ट को क्षति पहुंचाने एवं भूमि को खुर्द बुर्द करने के लिए उक्त कृत्य रेस्पोडेण्ट द्वारा किया गया, इस कारण से भी निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2024 को निर्णय सुनाया गया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। तथा अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि वादी के अन्य गवाह के लिए पत्रावली मुकर्रर की है व गवाह लाने है। वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से गवाह लाने बाबत् पुछा गया तब अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.03.2024 द्वारा फैसला होना बताया इस पर अपीलांट आहोर गया व दिनांक 20.03.2024 को नकल हेतु आवेदन किया गया जो 22.03.2024 को प्राप्त हुयी। जिसके बाद अधिवक्ता मुकर्रर कर अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपील का अपीलांट को कानूनी अधिकार है। अपीलांट द्वारा जान–बुझकर व लापरवाही पूर्वक देरी नहीं की गयी। अपील में कानून व तथात्मक बिन्दु समाहित है। अतः अपील को मेरिट पर सुना जावे। अपीलांट ग्रामीण परिवेश है तथा कानूनी प्रावधानों से अनभिज्ञ व अनपढ व्यक्ति है। अतः विलम्ब सद्भाविक है जिसे माफ कर अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे आदि।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर म्याद के बिन्दु विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निम्न लिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्नानुसार है–

1. RRT 2021 (1) 658
2. RRT (Supp.) 2018-19- 493
3. RRT 2010 (1) 554
4. RRT 2021 (2) 1016
5. RRT 2018-19- 505 (Supp.)
6. RRT 2003 (2) 957
7. RRT 2020 (2) 831
8. RRD-1987-489
9. S.C.C.D 2011 (4) S.C. 2007
10. RRT 2017 (1) 330
11. RRD 1986-673
12. RRT 2011 (2) 1020 S.C.
13. RRD-1970-27
14. S.C.C. 1981 (Supp.)-56 S.C.
15. S.C.C. D 2024-732 S.C.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. RBJ 2023-149

17. RRT 2011 (1) S.C. 602

18. RRD 1996 – 425

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों व इन पर उपलब्ध दस्तावेजात व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अध्ययन किया एवं प्रकरण के सम्यक न्यायिक निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2024 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 30.04.2024 को प्रस्तुत की है, जो कि 15 दिवस विलम्ब के साथ प्रस्तुत हुयी है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया "कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2024 को निर्णय सुनाया गया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। तथा अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि वादी के अन्य गवाह के लिए पत्रावली मुकर्रर की है व गवाह लाने है। वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से गवाह लाने बाबत् पुछा गया तब अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.03.2024 द्वारा फैसला होना बताया इस पर अपीलांट आहोर गया व दिनांक 20.03.2024 को नकल हेतु आवेदन किया गया जो 22.03.2024 को प्राप्त हुयी। जिसके बाद अधिवक्ता मुकर्रर कर अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपील का अपीलांट को कानूनी अधिकार है। अपीलांट द्वारा जान–बुझकर व लापरवाही पूर्वक देरी नहीं की गयी। अपील में कानून व तथ्याात्मक बिन्दु समाहित है। अतः अपील को मेरिट पर सुना जावे। अपीलांट ग्रामीण परिवेश है तथा कानूनी प्रावधानों से अनभिज्ञ व अनपढ व्यक्ति है। अतः विलम्ब सद्भाविक है जिसे माफ कर अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावें"।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आदेशिका दिनांक 15.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार अंकन किया है–" वकुलाए फरिकेन उपस्थित। आज दिनांक को वादी साक्ष्य पूर्ण की गयी। पूर्व पेशी पर वादी को समस्त साक्ष्य उपस्थित रखने हेतु हिदायत दी गयी थी वादी अन्य गवाह करवाना नहीं चाहते है, अथवा अन्य साक्ष्य व गवाह अनुपस्थित रहने पर वादी साक्ष्य बंद की जाती है। प्रतिवादी के वकील ने प्रतिवादी साक्ष्य करने हेतु इंतजार किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। बाद समायत बहस निर्णय जुदा लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।" इससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2024 को पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थी। पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्ष्य वादी बंद किये जाने के कारण अंकित नहीं करते हुए साक्ष्य बंद की गयी साथ ही इसी दिन साक्ष्य प्रतिवादी में नियत कर साक्ष्य प्रतिवादी के लिये अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इंतजार किए जाने के निवेदन के बावजूद इसी दिन साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद कर दी गयी। बहस के लिए प्रथम तो पत्रावली नियत ही नहीं थी। तथा यह भी आदेशिका में अंकित नहीं है। तथा यह भी अंकित नहीं है कि बहस के लिये उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित थे या नहीं इसके बावजूद इसी दिन बहस समायत कर इसी दिन प्रकरण को निर्णित व डिक्री भी कर दिया गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्राकतिक न्याय सिद्धान्त, व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व न्यायालय मैन्युअल के आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुशीलन नहीं किया है तथा प्रकरण के निर्णयन में न्यायिक शुचिता गंभीर रूप से प्रभावित रहीं हैं। वहीं प्रकरण में चूंकि केवल 15 दिवस का ही विलंब है तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी प्रक्रियागत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रावधानों के बजाय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा हुआ अल्प विलंब सद्भाविक एवं युक्तियुक्त है। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी सामंतसिंह द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया, जो दिनांक 01.09.2011 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में कुल छः विवाद्यक कायम किए गए।
4. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.02.2024 के अंकन अनुसार पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थीं, जिसमें आगामी तारीख पेशी 15.02.2024 नियत करते हुए वादी को हिदायत दी गई कि आगामी तारीख पेशी पर समस्त गवाह उपस्थित रहें।
5. आदेशिका दिनांक 15.02.2024 के अंकन अनुसार वकुलाए फरिकेन उपस्थित। आज दिनांक को वादी साक्ष्य पूर्ण की गयी। पूर्व पेशी पर वादी को समस्त साक्ष्य उपस्थित रखने हेतु हिदायत दी गयी थी वादी अन्य गवाह करवाना नहीं चाहते है, अथवा अन्य साक्ष्य व गवाह अनुपस्थित रहने पर वादी साक्ष्य बंद की जाती है। प्रतिवादी के वकील ने प्रतिवादी साक्ष्य करने हेतु इंतजार किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। बाद समायत बहस निर्णय जुदा लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2024 को पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थीं। जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को साक्ष्य वादी पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी बंद कर दी गई। इसके पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की जाकर आगामी तारीख पेशी दी जानी चाहिए थीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के वकील साक्ष्य करने हेतु इंतजार किया गया, का अंकन करते हुए उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद समायत बहस निर्णय जुदा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अर्थात पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य पेश हुए या नहीं, प्रतिवादी साक्ष्य बंद की या नहीं का कोई अंकन नहीं किया। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि साक्ष्य पूर्ण होने व बंद किये जाने का कोई अंकन नहीं हैं, इसके बावजूद प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनना अंकित किया गया है, जोकि संभव नहीं हैं। क्योंकि प्रथम तो साक्ष्य वादी बंद किये जाने के बाद पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की जाकर इस हेतु प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आगामी तारीख पेशी दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। प्रतिवादी साक्ष्य होने के पश्चात वादी को अपने बचाव हेतु खण्डन साक्ष्य वादी पेश करने का अवसर कानूनन दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया। इसी प्रकार साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत उभयपक्ष अधिवक्ता को बहस हेतु अवसर देते हुए आगामी तारीख पेशी दी जानी चाहिए थीं, जो नहीं दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.02.2024 को प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत होने के बावजूद साक्ष्य वादी बंद की जाकर, पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में रखकर प्रतिवादी साक्ष्य उपस्थित हुए या नहीं, दस्तावेज प्रदर्श करवाए या नहीं का कोई अंकन नही करते हुए प्रतिवादी साक्ष्य पूर्ण होने नहीं होने, प्रतिवादी साक्ष्य बंद करने का कोई अंकन किए बिना, वादी को खण्डन साक्ष्य का अवसर दिए बिना, साक्ष्य खण्डन साक्ष्य बंद करने का अंकन किए बिना बहस के लिए अवसर दिए बिना उसी दिन बहस सुने जाने का अंकन करते हुए प्रकरण में उसी दिन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। मेरे विनम्र मत में दिनांक 15.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

संपादित उक्त समस्त कार्यवाही प्रकरण में अनावश्यक तत्परता एवं न्यायिक निर्णयन के लिए अपेक्षित एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व न्यायालय मैन्यूअल में उभयपक्ष की साक्ष्य, जिरह, दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्श अंकन, खण्डन साक्ष्य, मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं बहस तथा निर्णय के लिए विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की किसी भी दृष्टि से पुष्टि व समर्थन योग्य न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। यह अफसोसजनक है कि उक्त कार्यवाही के दौरान अपेक्षित न्यायिक शुचिता का अभाव पाया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को प्रतिवादी साक्ष्य प्रदर्श ईएक्सडी 4 से ईएक्सडी 9 एवं दिनांक 15.02.2024 को ईएक्सडी 10 ए से ईएक्सडी 14 ए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्रदर्श अंकित है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 07.02.2024 तथा 15.02.2024 की आदेशिका में इनका कोई अंकन नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.02.2024 तक पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थीं एवं दिनांक 15.02.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रवितादी हेतु इंतजार का अंकन है, तो उक्त दोनों दिनांक को उक्त दस्तावेज प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में कब व कैसे पेश हो सकते हैं तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से उक्त दस्तावेजात प्रदर्श के रूप में क्यों अंकित किए, उक्त समस्त प्रश्न अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहीपर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत एवं प्रदर्श उक्त दस्तावेजात को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी के समर्थन में किसी प्रकार का निर्णय व टिप्पणी पारित नहीं किया जा सकता।

7. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णीत विवाद्यक संख्या 1 वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णीत किया है, जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह साबित होना माना है कि भाद्राजून के पुराने खसरा संख्या 171/1, 171 में से 12 बीघा व खसरा संख्या 498 रकबा 03–02 बीघा कृषि भूमि तत्कालीन खातेदार से जुहारसिंह व सामंतसिंह ने बहिस्सा बराबर–बराबर जरिये रजिस्ट्री के अनुसार म्यूटेशन के जरिये इन्द्राज हुआ। जुहारसिंह प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पिता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार निहित है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में विवाद्यकवार समुचित विवेचन, साक्ष्य की ग्राह्यता–अग्राह्यता, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संबंधित विवाद्यक एवं इससे संबंधित विधिक प्रावधानों के आधार पर कोई विवेचन किए बिना एवं प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ईएक्सडी 4 से ईएक्सडी 14 ए तक के दस्तावेज बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं बतौर साक्ष्य निर्णय में अंकित कर देने जोकि वस्तुतः हस्तगत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होने के बावजूद निर्णय पारित करने से अपीलाधीन संपूर्ण निर्णय, डिक्री पर प्रश्नचिन्ह होने से इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

9. अपीलांट द्वारा यह कथन कि वह वाद के संशोधन के जरिये खसरा संख्या 1311 जोडे जाने व इस बाबत अभिवचन में संशोधन बाबत इजाजत की मांग की हैं, के संबंध में हमारा विनम्र अभिमत है कि अपीलांट वादी के पास अधीनस्थ न्यायालय में यह पर्याप्त अवसर व विकल्प था कि वह इस बाबत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार

राजस्व अपील प्राधी

प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता था। अतः अपील के स्तर पर वादपत्र में संशोधन की अनुमति दिया जाना विधिसंगत एवं उचित नहीं होने से अपीलांट की यह उज्र अस्वीकार की जाती हैं।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि व समर्थनयोग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रत्यर्थिगण बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2011 बअनवान सामंतसिंह बनाम गणेशसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी को साक्ष्य वादी का एक पुनः अवसर देते हुए साक्ष्य वादी पूर्ण की जाकर प्रतिवादी साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विवाद्यकवार उभयपक्ष की साक्ष्य का संबंधित विधिक उपबंधों के आलोक में विवेचन करते हुए अपना सकारण विनिश्चय कर विवाद्यकवार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में विधिनुरूप पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय एवं संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित की जावें। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 02.01.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर-ए-इजलास सुनाया गया।

29.11.2024

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली